दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 01.02.2024

रि.या.(सि.)1471/2024 और सि.वि. सं.6066/2024 और 6067/2024

मोनिका .....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री हरिप्रिया पद्मनाभन, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री पूजा धर, सुश्री तृषा चंद्रन और सुश्री एस अंबिका, अधिवक्तागण।

बनाम

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली द्वारा महा निबंधक और अन्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री बीनाशॉ सोनी, वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता और सुश्री मानसी जैन, प्र-1 के लिए अधिवक्ता।

श्रीमती अवनीश अहलावत, स्थायी अधिवक्ता, सुश्री तानिया अहलावत, श्री नितेश कुमार सिंह, सुश्री लावण्या कौशिक, सुश्री अलीज़ा आलम और श्री मोहनीश सहरावत, प्र- 2 के लिए अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री विभू बाखरू
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा वितस्ता गंजू

न्या. विभू बाखरू (*मौखिक*)

1. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1970 (इसके बाद **'नियम')** के परिशिष्ट के पैराग्राफ XII का भी विरोध किया गया है। याचिकाकर्ता यह भी प्रार्थना करती है कि प्रत्यर्थी सं. 1 (इसके बाद **'दिल्ली उच्च न्यायालय'**) को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित), 2023 (इसके बाद '**डीएचजेएस मुख्य परीक्षा**' के रूप में संदर्भित) के लॉ-III परीक्षा पेपर के संबंध में याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने के निर्देश जारी किए जाएं।

2. याचिकाकर्ता ने डीएचजेएस मुख्य परीक्षा में अधिकतम 750 अंकों में से कुल 422 अंक प्राप्त किए थे। ये 50% की अर्हता सीमा से काफी अधिक है। हालांकि, याचिकाकर्ता परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल नहीं रही क्योंकि उसे लॉ पेपर III में अधिकतम 200 अंकों में से 75 अंक दिए गए, जो 45% के अर्हक कटऑफ से 15 अंक कम है।

3. याचिकाकर्ता इस बात से व्यथित है कि तीन पेपरों में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उसने डीएचजेएस मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। यह उपरोक्त संदर्भ

में है कि याचिकाकर्ता लॉ पेपर III में अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहती है। वह नियमों को इस हद तक चुनौती देती है कि इसमें यह प्रावधान है कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. नियम 27.08.1970 को अधिसूचित किए गए थे और दैनिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू हुए थे। समय-समय पर नियमों में संशोधन किया गया है। नियमों के नियम 7ग के संदर्भ में, उच्च न्यायालय को सीधी भर्ती द्वारा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (इसके बाद **'डीएचजेएस** के रूप में संदर्भित') में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के प्रयोजनों के लिए नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित तरीके से लिखित परीक्षा (ओं) और मौखिक परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है।

5. नियमों के परिशिष्ट में प्रावधान है कि दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा (इसके बाद **'डीएचजेएस परीक्षा'** के रूप में संदर्भित) तीन क्रमिक चरणों में आयोजित की जाएगी। पहली डीएचजेएस प्रारंभिक परीक्षा - एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा जिसमें अर्हक प्रकृति की स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में 25% नकारात्मक अंकन होता है। डीएचजेएस प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को डीएचजेएस मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। और, जो अभ्यर्थी डीएचजेएस

मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उन्हें मौखिक परीक्षा के तीसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा।

6. नियमों के परिशिष्ट के पैराग्राफ III में प्रावधान है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 50% है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, डीएचजेएस प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को डीएचजेएस मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन डीएचजेएस मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा में उनके कुल अंकों के आधार पर योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

7. डीएचजेएस मुख्य परीक्षा में चार पेपर शामिल होते हैं। चारों पेपरों के लिए कुल अधिकतम अंक 750 अंक हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्रत्येक पेपर में 45% और कुल अंकों का 50% है। उक्त पेपरों का संक्षिप्त विवरण, जैसा कि नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित किया गया है, नीचे दिया गया है:

"मुख्य (लिखित) परीक्षा

पेपर	विवरण	अधिकतम अंक

पेपर-I	**सामान्य ज्ञान और भाषा -** यह अभ्यर्थी के करंट अफेयर्स आदि के ज्ञान और अंग्रेजी में अभिव्यक्ति की शक्ति का परीक्षण करने के लिए है। सार और अभिव्यक्ति दोनों के लिए अंक दिया जाएगा। इसके विपरीत खराब अभिव्यक्ति, व्याकरण की गलतियों और शब्दों के गलत उपयोग आदि के लिए अंक की कटौती की जाएगी।	150
पेपर-II	**लॉ- I** - भारत का संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, परिसीमा अधिनियम, रजिस्ट्रेशन अधिनियम और ऐसे अन्य विषय जो समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।	200
पेपर-III	**लॉ -II-** संपत्ति-अंतरण अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, माल विक्रय अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, मध्यस्थता कानून, व्यक्तिगत कानून और ऐसे अन्य विषय जो समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।	200
पेपर-IV	**लॉ -III-** भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और ऐसे अन्य विषय जो समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।	200

8. डीएचजेएस मुख्य परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रकटीकरण उनके मौखिक परीक्षा के मूल्यांकन तक रोक दिया जाना आवश्यक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, डीएचजेएस मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उनकी पारस्परिक योग्यता का क्रम निर्धारित करते हैं।

9. 13.07.2023 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीएचजेएस परीक्षा आयोजित करके डीएचजेएस में सीधी भर्ती के माध्यम से 16 रिक्तियों को भरने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया।

10. याचिकाकर्ता का दावा है कि वह एक कार्यरत अधिवक्ता है और उसने 27.07.2023 को सामान्य वर्ग के तहत डीएचजेएस के लिए अपना आवेदन जमा किया था। इस आवेदन की पुष्टि याचिकाकर्ता को उसके मोबाइल और ईमेल पर प्राप्त हुई और उसे आवेदन संख्या 234710000086 प्रदान की गई।

11. इसके बाद, 16.08.2023 को याचिकाकर्ता को डीएचजेएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र दिया गया, जिसमें उसका परीक्षा अनुक्रमांक 20020641 दर्शाया गया था। उक्त परीक्षा 20.08.2023 को आयोजित की गई थी।

12. याचिकाकर्ता ने डीएचजेएस प्रारंभिक परीक्षा में 148 में से 79.5 अंक प्राप्त किए और इस प्रकार, उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की। तदनुसार, उसे डीएचजेएस मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश दिया गया।

13. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14.10.2023 से 15.10.2023 तक डीएचजेएस मुख्य परीक्षा आयोजित की। याचिकाकर्ता को परीक्षा अनुक्रमांक 33 दिया गया था और वह सभी चार पेपरों में उपस्थित हुई थी।

14. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29.12.2023 को डीएचजेएस मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित किए। उन सभी अभ्यर्थियों के अंक, जो डीएचजेएस मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे, का खुलासा कर दिया गया था, लेकिन इसमें जो उत्तीर्ण हुए थे, उनके अंकों का प्रकटीकरण रोक कर रखा गया। याचिकाकर्ता ने डीएचजेएस मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की और इसलिए, उसके अंकों का खुलासा किया गया। इसे इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

“क्र.सं.	पेपर का नाम	कुल अंक	प्राप्तांक
1.	सामान्य ज्ञान एवं अंग्रेजी	150	108
2.	लॉ-I	200	107
3.	लॉ-II	200	132
4.	लॉ-III	200	75
	कुल	**750**	**422”**

15. याचिकाकर्ता ने डीएचजेएस मुख्य परीक्षा में 750 अंकों में से कुल 422 अंक प्राप्त किए थे। हालांकि, उसने कुल मिलाकर 50% से अधिक अंक प्राप्त किए थे, लेकिन वह डीएचजेएस मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल रही क्योंकि लॉ पेपर III में उसके अंक 45% से कम थे - जो कि अर्हक सीमा है।

16. 06.01.2024 को, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के महा निबंधक को एक अभ्यावेदन लिखकर भेजते हुए अनुरोध किया कि लॉ पेपर III का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और जल्द से जल्द किसी स्वतंत्र संकाय द्वारा इसकी फिर से जांच की जाए और शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के अंक, जो साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले हैं, मौखिक परीक्षा शुरू होने से पहले प्रकट किए जाएं।

17. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री हरिप्रिया पद्मनाभन ने तर्क दिया कि यह स्पष्ट है कि लॉ पेपर III के अंकन में एक प्रणालीगत त्रुटि थी क्योंकि केवल तेरह अभ्यर्थियों ने उक्त पेपर में न्यूनतम योग्यता अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा घोषित डीएचजेएस मुख्य परीक्षा के परिणामों का सन्दर्भ दिया और प्रस्तुत किया कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जिन्होंने अन्य पेपरों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, वे लॉ पेपर III में आवश्यक अंक प्राप्त करने में विफल रहे थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि डीएचजेएस (लिखित) मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले अठहत्तर अभ्यर्थियों में से केवल ग्यारह अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए

शॉर्ट-लिस्ट किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि साक्षात्कार के लिए शॉर्ट-लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से कम थी। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षा पत्रों के पुनर्मूल्यांकन से इनकार करना योग्य अभ्यर्थियों के प्रति पूर्वाग्रह है।

18. विद्वान अधिवक्ता ने ***साहिती और अन्य बनाम कुलाधिपति, डॉ. एन.टी.आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और अन्य.[1], त्रिपुरा उच्च न्यायालय बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी एवं अन्य.[2], उड़ीसा राज्य एवं अन्य बनाम प्रजानपारमिता सामन्त्र एवं अन्य.[3], रण विजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य.[4], जनहित याचिका केंद्र बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय[5]*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया और उक्त निर्णयों के बल पर प्रस्तुत किया कि कई तरह की स्थितियों में पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

19. याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि नियमों के परिशिष्ट का पैराग्राफ XII भारत के संविधान के अधिकारातीत है क्योंकि यह याचिकाकर्ता की व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत दी गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार, दिए गए तथ्यों में, लॉ पेपर III के पुनर्मूल्यांकन के उसके अनुरोध को अस्वीकार करना, प्रभावी रूप से उसे डीएचजेएस में नियुक्ति के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर से वंचित करता है। उनका मानना है कि पैराग्राफ XII संविधान के

अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करता है क्योंकि यह मनमाना और अन्यायपूर्ण है। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि पुनर्मूल्यांकन का पूर्ण निषेध अनुचित अंकन के खिलाफ पात्र अभ्यर्थियों के विरोध की संभावना को खत्म कर देता है।

20. दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री बीनाशॉ ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित हुई थी और सामान्य वर्ग के तहत केवल तीन रिक्तियां विज्ञापित की गई थीं। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने डीएचजेएस मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वे रिक्तियों की संख्या से तीन गुना अधिक थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियां नहीं भारी जाएंगी क्योंकि अनुसूचित जनजाति से कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ था और अनुसूचित जाति से केवल दो अभ्यर्थियों ने डीएचजेएस मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की सभी रिक्तियों को भरने में कोई बाधा नहीं होगी क्योंकि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों ने डीएचजेएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

कारण और निष्कर्ष

21. नियमों के परिशिष्ट का पैराग्राफ XII, जो वर्तमान याचिका में चुनौती का विषय है, इस प्रकार है:

"XII **<u>उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन</u>**

किसी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और इस अनुरोध को अभ्यर्थियों को कोई सूचना दिए बिना अस्वीकार कर दिया जाएगा।"

22. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उक्त नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 19 (1) (छ) का उल्लंघन है, निराधार है। पुनर्मूल्यांकन से इनकार किसी भी तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाता है। यह तर्क कि यह मनमाना या अनुचित है, भी गलत है। स्पष्ट है, उक्त नियम समान संरक्षण खंड का उल्लंघन नहीं करता है।

23. उपरोक्त प्रश्न अनिर्णीत विषय नहीं है। ***महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम परितोष भुपेशकुमार सेठ और अन्य***[6] में कुछ परीक्षार्थियों ने प्रासंगिक विनियमों की वैधता को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पुन: सत्यापन की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय ने उनके अभ्यावेदन को स्वीकार कर लिया और माना कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिकाओं के प्रकटीकरण, निरीक्षण और पुनर्मूल्यांकन की मांग करने के हकदार थे। महाराष्ट्र

राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उक्त निर्णय के खिलाफ सफलतापूर्वक अपील की और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने अपास्त कर दिया। उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

> "20. हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा किया गया उपरोक्त दृष्टिकोण पूरी तरह से भ्रामक है और व्याख्या के सुस्थापित सिद्धांत का पालन करने में इसकी विफलता से दूषित है कि एक वैधानिक अधिनियमन या उसके तहत बनाए गए नियमों / विनियमों में निहित प्रावधानों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य में होना चाहिए और जहां एक विशिष्ट धारा या नियम के तहत किसी विशेष विषय को विशेष उपचार प्राप्त हुआ है, ऐसा विशेष प्रावधान किसी भी सामान्य प्रावधान की प्रयोज्यता को बाहर कर देगा जो अन्यथा उक्त विषय को शामिल कर सकता है.... उक्त विनियम के खंड (1) में कहा गया है कि कोई भी अभ्यर्थी जो एचएससी परीक्षा में उपस्थित हुआ है, विशेष रूप से किसी भी विषय में अंकों के सत्यापन के लिए प्रभागीय सचिव को आवेदन कर सकता है, लेकिन इस तरह के सत्यापन को यह जांचने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा कि क्या सभी उत्तरों की जांच की गई है और क्या उस विषय में अंकों के योग में या उत्तर पुस्तिका के पहले कवर पेज पर अंकों को सही ढंग से स्थानांतरित करने में कोई गलती हुई है और साथ ही क्या उत्तर पुस्तिकाओं से जुड़े पूरक अभ्यर्थियों द्वारा उल्लिखित बरकरार हैं। उक्त विनियम का खंड (3) आगे की सीमा लगाता है कि कोई भी अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका या अन्य दस्तावेजों के प्रकटीकरण या निरीक्षण का दावा नहीं करेगा या हकदार नहीं होगा क्योंकि इन्हें प्रभागीय बोर्डों द्वारा सबसे गोपनीय माना जाएगा। यह स्पष्ट है कि खंड (1) और (3) को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, न कि एक-दूसरे से अलग करके, जैसा

कि स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय ने किया है। खंड (1) द्वारा प्रदत्त सत्यापन का अधिकार उसी खंड में निहित सीमा के अधीन है कि उत्तर पुस्तिकाओं या अनुपूरक का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और खंड (3) द्वारा लगाए गए अतिरिक्त प्रतिबंध, उत्तर पुस्तिकाओं के प्रकटीकरण या निरीक्षण पर रोक लगाते हैं।

XXXX XXXX XXXX

26. हम उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए अतिरिक्त कारणों से सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि चूँकि "प्रत्येक छात्र को परीक्षा में निष्पक्षता प्राप्त करने और अपने प्रदर्शन के अनुरूप उचित अंक प्राप्त करने का अधिकार है" यदि पुनर्मूल्यांकन की मांग करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह ऐसे निष्पक्षता के अधिकार से इनकार होगा और जब तक पुनर्मूल्यांकन के अधिकार को मान्यता नहीं दी जाती है और अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक निष्पक्षता के नियमों का उल्लंघन होता है। अभ्यर्थियों ने विनियमों में निहित प्रावधानों की पूरी जागरूकता के साथ परीक्षा दी है और परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन के रूप में की गई घोषणा में उन्होंने सत्यनिष्ठा से कहा है कि वे बोर्ड द्वारा जारी किए गए विनियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह से सहमत हैं। इन परिस्थितियों में, जब हम पाते हैं कि त्रुटियों और कदाचारों के खिलाफ सभी रक्षोपायों का प्रावधान किया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि पुनर्मूल्यांकन की मांग पर प्रतिबंध के कारण परीक्षार्थियों को निष्पक्षता से वंचित किया जा सकता है।"

[जोर दिया गया]

24. ***हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर और अन्य***[7] में, उच्चतम न्यायालय ने ***महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा***

बोर्ड और अन्य बनाम परितोष भूपेशकुमार सेठ और अन्य[6] में अपने पहले के निर्णय का सन्दर्भ दिया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "24. उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का मुद्दा अब अनिर्णीत विषय नहीं है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम परितोष भूपेशकुमार सेठ मामले में इस न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में, न्यायालय द्वारा इस आशय का निर्देश जारी किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित कि नियमों/विनियमों में पुन: जांच/सत्यापन/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान न करने वाले नीतिगत निर्णय को भी तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि यह दिखाने का आधार न हो कि नीति स्वयं कुछ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है।"

25. नियमों के परिशिष्ट के पैराग्राफ XII को याचिकाकर्ता की चुनौती किसी अन्य कारण से विफल होनी चाहिए। नियमों के परिशिष्ट के अनुसार आयोजित परीक्षा में भाग लेने वाला याचिकाकर्ता असफल होने के बाद इसको चुनौती नहीं दे सकता है। यह स्थापित कानून है कि कोई भी अभ्यर्थी जिसने स्वेच्छा से चयन प्रक्रिया में भाग लिया है, असफल होने के बाद इस चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता है। ***मदन लाल और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य***[8] में, उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि "*अब यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक सोचा-समझा प्रयास करता है और साक्षात्कार में उपस्थित होता है, केवल इसलिए कि साक्षात्कार का परिणाम उसके अनुसार सही*

नहीं है, तो वह पलट नहीं सकता है और बाद में यह तर्क नहीं दे सकता है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी या चयन समिति का गठन ठीक से नहीं किया गया था...."

26. उच्चतम न्यायालय ने ***अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य*** के हालिया निर्णय में पहले के कई निर्णयों का सन्दर्भ दिया है और उपरोक्त सिद्धांत को दोहराया है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

> "12. अपीलार्थीगण ने चयन की नई प्रक्रिया में भाग लिया। यदि अपीलार्थीगण नई प्रक्रिया आयोजित करने के निर्णय से व्यथित थे, तो उन्होंने अपने पास उपलब्ध समाधान का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने चयन की नई प्रक्रिया में भाग लिया और असफल होने पर ही उन्होंने रिट याचिका में परिणाम को चुनौती दी। स्पष्ट रूप से अपीलार्थीगण इसके लिए स्वतंत्र नहीं है। विबंध का सिद्धांत लागू होगा।"

27. ***अनुपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य***[10] में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिन अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, वे असफल होने के बाद कार्यालय ज्ञापन को चुनौती नहीं दे सकते थे।

28. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नियमों के परिशिष्ट के पैराग्राफ XII को याचिकाकर्ता की चुनौती खारिज कर दी गई है।

29. जांच का अगला प्रश्न यह है कि क्या दिए गए तथ्यों में, परीक्षा पत्रों के पुनर्मूल्यांकन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है।

30. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना सही है कि असाधारण परिस्थितियों में, जहां यह स्पष्ट है कि चयन प्रक्रिया दूषित हो गई है, न्यायालय शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनर्मूल्यांकन के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है।

31. ***रण विजय सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य***[4] में, एक निर्णय जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया था, उस पर उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "30.2 यदि किसी परीक्षा को संचालित करने वाला कोई क़ानून, नियम या विनियम किसी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति नहीं देता है (इस पर रोक लगाने से अलग) तब न्यायालय पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति केवल तभी दे सकता है जब यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया हो, बिना किसी "तर्क की अनुमानित प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया" के और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में कि कोई महत्वपूर्ण त्रुटि हुई है;"

32. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि न्यायालय दुर्लभ और असाधारण मामलों में परीक्षा पत्रों के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दे सकते हैं जहां यह पाया जाता है कि एक

बड़ी गलती की गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस तरह के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया जाएगा जहां संबंधित नियम / क़ानून पुनर्मूल्यांकन को निषेध नहीं करते हैं।

33. ***त्रिपुरा उच्च न्यायालय बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी और अन्य***[2] में उच्चतम न्यायालय ने ***रण विजय सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य***[4] में पहले के निर्णय का सन्दर्भ दिया और दोहराया कि दुर्लभ और असाधारण मामलों में एक रिट न्यायालय अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग तब भी कर सकता है, जब पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान न हो।

34. ऐसे मामलों में, जहां न्यायालय को पता चलता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई प्रणालीगत दोष है या यदि यह पाया जाता है कि मूल्यांकन में कोई स्पष्ट त्रुटि है, यदि पुनर्मूल्यांकन पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई नियम नहीं है तो न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में पुनर्मूल्यांकन या आगे की जांच का निर्देश दे सकते हैं। दिए गए तथ्यों में, हमें ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली।

35. याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से इस आधार पर आधारित है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने लॉ पेपर III उत्तीर्ण नहीं किया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, सभी अभ्यर्थियों को उक्त पेपर में कम अंक दिए गए हैं। परिणाम से यह स्पष्ट है कि अठहत्तर में से केवल तेरह अभ्यर्थियों ने लॉ पेपर III में 45% या अधिक अंक

प्राप्त किए हैं। इस प्रकार, यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि लॉ पेपर III एक कठिन प्रश्न पत्र था, या उक्त उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सख्ती से हुआ था, या दोनों स्थितियां थी। हालाँकि, इस तथ्य का कि परीक्षार्थियों ने इस पेपर में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में कोई प्रणालीगत त्रुटि हुई है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि लॉ पेपर III को एक ही परीक्षक द्वारा अंकित किया गया था। इसका उद्देश्य उत्तर पुस्तिकाओं के व्यक्तिपरक मूल्यांकन में विभिन्न मानकों और विभिन्न परीक्षकों के दृष्टिकोण के कारण होने वाली भिन्नता को कम करना था।

36. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियुक्ति के लिए विज्ञापन के साथ आने वाले निर्देशों के भाग- II के नियम 7ग के अनुसार, मौखिक परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या प्रत्येक वर्ग में रिक्तियों की संख्या से तीन गुना से अधिक नहीं हो सकती है। वर्तमान मामले में, सामान्य वर्ग में अधिकतम अभ्यर्थी, जिन्हें मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है, ने डीएचजेएस मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है।

37. दिए गए तथ्यों में, याचिकाकर्ता की प्रार्थना कि लॉ पेपर III की उसकी उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, दो कारणों से खारिज की जा सकती है। पहला, नियमों के परिशिष्ट के पैराग्राफ XII के अनुसार, उत्तर पुस्तिकाओं का

पुनर्मूल्यांकन निषिद्ध है। और दूसरा, हमें मूल्यांकन प्रक्रिया में कोई खामी या कमज़ोरी नज़र नहीं आती।

38. तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

न्या. विभू बाखरू

न्या. तारा वितस्ता गंजू

फरवरी 1, 2024
आरके/जीएसआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*